न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 10/2022 बउनवानी लाली देवी बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा निवासी– मिश्र जी का मोहल्ला, चौथ का बरवाडा

GCMS No-2022/10 **On line Appeal No-321187659791278**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.5.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– "सीता पत्नि बंसती लाल हाल सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पंचायत राज चुनाव,2020 मे सरपंच पद हेतु चुनाव के नामांकन फार्म मे संतान संबंधी गलत तथ्य व शपथ पत्र पेश कर चुनाव लडने पर आपको प्राप्त परिवादो पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।" 1. मार्च,2020 से 20.5.2021 तक आपको सीता पत्नि बंसती लाल हाल सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पंचायती राज चुनाव,2020 मे ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से सरपंच पद हेतु चुनाव के नामांकन फार्म में झूठा शपथ पत्र पेश करने व संतान सबंधी गलत तथ्य प्रस्तुत कर चुनाव लडने पर कार्यवाही करने हेतु जरिये डाक ,ईमेल,राजस्थान सम्पर्क पोर्टल 181 पर प्राप्त परिवादो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 2. उक्त सभी परिवादो के संबंध में उपखण्ड अधिकारी महोदय चौथ का बरवाडा द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, उक्त परिवादो के संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे। चूंकि उक्त प्रकरण में मैं स्वंय फरियादी हूँ। 3. पंचायती राज संस्था जैसे ग्राम पंचायत के पंच पद के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा को कार्यवाही का अधिकार है या नही यदि कार्यवाही का अधिकार है तो किस नियम व किस आदेश के तहत क्या कार्यवाही का अधिकार है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें 4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर, राजस्थान के पत्रांक एफ.4(2)(1)/पंचा/रानिआ/03/502 दिनांक 29.3.2011 के पत्र जिसमे पंचायतीराज अभ्यर्थीयो द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया है। उक्त पत्र की प्रति के साथ जरिये डाक या ईमेल से प्राप्त हुई है या नही। यदि आपको प्राप्त हुई है तो आप द्वारा कार्यवाही की गयी है या नही। अगर कार्यवाही नही की गयी तो क्यो नही की गयी। उक्त संबंध मे मय जानकारी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 5. पंच सीता पर कार्यवाही हेतु आपको प्रथम परिवाद कब प्राप्त हुआ और कितने समय से कार्यवाही विचाराधीन है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। 6. पंचायतीराज चुनाव में किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत घोषणा करने पर आप क्या कार्यवाही कर सकते है क्या आप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के उपरोक्त पत्र के अनुसार कार्यवाही कर सकते है या नही।यदि आप सचिव, राज्य निर्वाचन जयपुर के उपरोक्त पत्रांक के अनुसार कार्यवाही कर सकते हो । सूचना उपलब्ध करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:36 IST
Reason: SelfAttested

25

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सू.का.अ. /2022/832 दिनांक 7.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.5.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के पत्रांक सूकाअ/2022/833–34 दिनांक 7.2.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.5.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 पर चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के पत्रांक 833–34 दिनांक 7.2.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। अतःअपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:11:36 IST
Reason: SelfAttested